

“Self Tax Refund” सेवा उपयोग की शर्तें

(Terms and Conditions for “Self Tax Refund” Service)

अनुच्छेद 1 (उद्देश्य एवं लागू क्षेत्र)

ये सेवा उपयोग की शर्तें (आगे “ये शर्तें” कहलाएँगी) GLORY Co., Ltd. (आगे “कंपनी”) द्वारा, धन अंतरण सेवा प्रदाता (आगे “प्रेषक”) से प्राप्त प्राधिकरण के आधार पर प्रदान की जाने वाली कर-वापसी सेवा “Self Tax Refund” (आगे “सेवा”) के उपयोग की शर्तों को निर्धारित करती हैं।

जो भी व्यक्ति इस सेवा का उपयोग करता है (आगे “उपयोगकर्ता”), उसे इन शर्तों से पूर्णतः सहमत माना जाएगा।

अनुच्छेद 2 (सेवा की सामग्री)

- कंपनी, प्रेषक के निर्देशानुसार, कर-मुक्त खरीद पर चुकाए गए उपभोग कर की वापसी की प्रक्रिया स्वयं-सेवा कर-वापसी मशीनों या अन्य निर्धारित तरीकों से प्रदान करती है।
- कर-वापसी निधि का प्रबंधन तथा कर-वापसी राशि का निर्धारण प्रेषक की जिम्मेदारी है। कंपनी प्रेषक के निर्देशों के अनुसार कर-वापसी का निष्पादन करती है।
- प्रेषक, स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटरों के साथ समन्वय करते हुए, कर-मुक्त खरीद अभिलेखों एवं सीमा-शुल्क निर्णय संबंधी जानकारी का प्रबंधन करता है और कंपनी को प्रदान करता है।

अनुच्छेद 3 (परिभाषाएँ)

इन शर्तों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निम्नानुसार होंगे:

- “कंपनी”: GLORY Co., Ltd., जो प्रेषक के प्राधिकरण के अंतर्गत सेवा का संचालन करती है।
- “प्रेषक”: भुगतान सेवाओं से संबंधित अधिनियम (अधिनियम संख्या 59, 2009) (आगे “भुगतान सेवा अधिनियम”) के अनुच्छेद 37 के अंतर्गत धन अंतरण सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत ऑपरेटर, जो कर-वापसी निधि का प्रबंधन और कर-वापसी राशि का निर्धारण करता है, स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर के साथ समन्वय करके कर-मुक्त खरीद अभिलेखों एवं सीमा-शुल्क निर्णय संबंधी जानकारी का प्रबंधन करता है, और यह जानकारी कंपनी को प्रदान करता है।
- “सेवा”: कर-मुक्त खरीद पर चुकाए गए उपभोग कर की वापसी की वह प्रणाली, जिसे स्वयं-सेवा मशीनों या अन्य तरीकों से “Self Tax Refund” नाम से प्रदान किया जाता है।
- “स्वयं-सेवा कर-वापसी मशीन”: वह स्वचालित मशीन, जो उपयोगकर्ता को पासपोर्ट जानकारी पढ़कर कर-वापसी प्रक्रिया पूर्ण करने में सक्षम बनाती है।
- “उपयोगकर्ता”: वह व्यक्ति जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है और सेवा का उपयोग करता है।

6. "कर-मुक्त खरीद के लिए पात्र खरीदार": वह गैर-निवासी, जिसे जापान के उपभोग कर अधिनियम एवं अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत कर-मुक्त खरीद की अनुमति है।
7. "स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर": उपभोग कर अधिनियम प्रवर्तन आदेश के अनुच्छेद 18-4 के खंड 1 के अंतर्गत अनुमोदित ऑपरेटर, जो कर-मुक्त खरीद अभिलेखों एवं सीमा-शुल्क निर्णय संबंधी जानकारी का प्रबंधन करता है और यह जानकारी प्रेषक को प्रदान करता है।
8. "कर-मुक्त दुकान": लागू कानूनों के अनुसार सक्षम कर-प्राधिकरण से स्वीकृत निर्यात वस्तु विक्रय स्थल।

अनुच्छेद 4 (उपयोग की पात्रता)

सेवा का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को निम्न सभी शर्तें पूरी करनी होंगी:

1. कर-मुक्त खरीद के लिए पात्र खरीदार होना;
2. जापान में कर-मुक्त दुकान से खरीद करना;
3. प्रेषक या स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर द्वारा प्रबंधित वैध कर-मुक्त खरीद अभिलेख उपलब्ध होना और सीमा-शुल्क निर्णय पूर्ण होना;
4. वैध पासपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम होना;
5. कर-मुक्त खरीद की तिथि के अगले दिन से नब्बे (90) दिनों के भीतर आवेदन करना।

अनुच्छेद 5 (संग्रहित एवं उपयोग की जाने वाली जानकारी)

कंपनी, सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक सीमा में तथा प्रेषक के निर्देशानुसार, निम्न जानकारी एकत्र एवं उपयोग करेगी:

1. पासपोर्ट में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी (पासपोर्ट संख्या को हैश रूप में सुरक्षित रखा जाएगा);
2. प्रेषक एवं स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर से प्राप्त कर-मुक्त खरीद अभिलेख एवं सीमा-शुल्क निर्णय संबंधी जानकारी;
3. कर-वापसी प्रक्रिया से संबंधित लेन-देन अभिलेख (परिचालन एवं भुगतान जानकारी सहित);
4. पूछताछ के उत्तर हेतु आवश्यक ई-मेल पते एवं संपर्क जानकारी।

अनुच्छेद 6 (जानकारी के उपयोग के उद्देश्य)

कंपनी एकत्रित जानकारी का उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए करेगी:

1. प्रेषक के निर्देशानुसार कर-वापसी की प्रक्रिया का निष्पादन;
2. पूछताछ का उत्तर देना।

अनुच्छेद 7 (कर-वापसी की विधि एवं कर-वापसी इकाई)

1. कर-वापसी स्वयं-सेवा कर-वापसी मशीन या प्रेषक द्वारा निर्दिष्ट अन्य विधि से की जाएगी, और कर-वापसी की राशि अनुच्छेद 8 में निर्धारित शुल्क घटाने के बाद की राशि होगी।
2. पूर्ववर्ती मद में निर्धारित राशि में 100 जापानी येन से कम का अंश होने पर, उस अंश को छोड़कर शेष राशि की कर-वापसी की जाएगी।
3. यदि नकद कर-वापसी संभव न हो, तो प्रेषक द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक विधि लागू की जाएगी।

अनुच्छेद 8 (शुल्क)

1. सेवा के उपयोग पर, प्रेषक द्वारा निर्धारित शुल्क तथा स्वयं-सेवा कर-वापसी मशीनों के उपयोग एवं सेवा प्रदान करने से संबंधित अन्य शुल्क (संयुक्त रूप से "शुल्क") लागू होंगे। कर-मुक्त दुकान द्वारा वहन किए जाने के मामलों को छोड़कर, उपयोगकर्ता को कर-वापसी करते समय शुल्क काटा जाएगा।
2. शुल्क, कर-मुक्त खरीद के कर-रहित खरीद मूल्य के 1.1% के समतुल्य राशि (कर सहित), या प्रेषक द्वारा निर्धारित शुल्क काटने के बाद की कर-वापसी राशि पर कंपनी द्वारा निर्दिष्ट दर लागू करके गणना की गई राशि होगा। इन शर्तों से सहमति देकर, उपयोगकर्ता शुल्क की उक्त गणना विधि, पूर्ववर्ती मद में निर्धारित कटौती विधि तथा अनुच्छेद 7 की मद 2 में निर्धारित अंश छोड़ने से सहमत होता है।

अनुच्छेद 9 (दायित्व की सीमा)

1. स्वयं-सेवा कर-वापसी मशीन से नकद भुगतान की पूर्णता को सेवा की पूर्णता माना जाएगा। नकद भुगतान के बाद नकदी की प्राप्ति, सुरक्षा या प्रबंधन के लिए कंपनी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी।
2. कंपनी, प्रेषक या स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए कर-मुक्त खरीद अभिलेखों, सीमा-शुल्क निर्णय संबंधी जानकारी और अन्य जानकारी के आधार पर सेवा प्रदान करती है तथा ऐसी जानकारी की शुद्धता, पूर्णता या नवीनतम होने की गारंटी नहीं देती।
3. कर-वापसी राशि, कर-वापसी की पात्रता तथा कर-वापसी से संबंधित अन्य निर्णय प्रेषक द्वारा किए जाते हैं, और कंपनी प्रेषक के निर्देशों के अनुसार कर-वापसी प्रक्रिया निष्पादित करती है।
4. संचार लाइन, प्रणाली विफलता, उपकरण खराबी, प्रेषक या स्वीकृत डेटा-प्रेषण एवं प्राप्ति ऑपरेटर की प्रणाली विफलता, अथवा ऐसे अन्य कारणों से, जिनके लिए कंपनी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, सेवा के पूरे या किसी भाग का उपयोग न कर पाने के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।
5. कंपनी के जानबूझकर किए गए कृत्य या गंभीर लापरवाही के मामलों को छोड़कर, सेवा के उपयोग या उपयोग न कर पाने के संबंध में उपयोगकर्ता को हुई किसी क्षति के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुच्छेद 10 (निषिद्ध कार्य)

उपयोगकर्ता निम्न कार्य नहीं करेगा। उल्लंघन की स्थिति में, कंपनी सेवा निलंबित कर सकती है, हानि-पूर्ति की मांग कर सकती है या अन्य आवश्यक कदम उठा सकती है:

1. किसी अन्य व्यक्ति के पासपोर्ट का उपयोग या गलत जानकारी प्रदान करना;
2. कर-मुक्त प्रणाली का अवैध उपयोग या अन्य धोखाधड़ीपूर्ण कार्य;
3. उपकरणों को क्षति पहुँचाना, उनमें परिवर्तन करना या अनधिकृत संचालन करना;
4. कंपनी या प्रेषक के कार्यों में बाधा पहुँचाना।

अनुच्छेद 11 (शर्तों में संशोधन)

कंपनी आवश्यकतानुसार इन शर्तों में संशोधन कर सकती है। संशोधित शर्तें सेवा उपयोग के समय प्रदर्शित की जाएंगी।

अनुच्छेद 12 (लागू कानून, भाषा एवं अधिकार-क्षेत्र)

1. इन शर्तों की व्याख्या एवं अनुप्रयोग जापान के कानूनों के अनुसार होगा।
2. इन शर्तों का मूल पाठ जापानी भाषा में है। अन्य भाषाओं में अनुवाद केवल संदर्भ हेतु हैं; किसी भी भिन्नता की स्थिति में जापानी संस्करण मान्य होगा।
3. इन शर्तों से उत्पन्न या संबंधित किसी भी विवाद के लिए टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रथम-दृष्टि न्यायालय के रूप में विशिष्ट अधिकार-क्षेत्र रखेगा।

अनुपूरक प्रावधान

ये शर्तें 1 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगी।

टिप्पणी: यह दस्तावेज़ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके अनुवादित किया गया है। आधिकारिक मूल पाठ जापानी संस्करण है। अनुवाद और जापानी मूल पाठ में किसी भी भिन्नता की स्थिति में जापानी संस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।